12/18 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं वकील विपक्षीगण (सं. 4) उपस्थित। उभय पक्ष के वकीलों की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा बताया गया कि ग्राम सखवाड़ पटवार हल्का सखवाड़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 के खाता सं. नई 132 पुरानी 112 के ~~पुरानी~~ पुरानी खसरा नं. 2016/1275 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में प्रार्थी, गिरधारी, हाजु, सविता पि. गंगा रूप बेवा गंगा 1/4 हि. गोविन्द, बाबूलाल, बंसा पि. केवला नानी बेवा केवला 1/4 हि.ब. नाथु पिता अमरा 1/2 सह खातेदार हैं। उक्त भूमि प्रार्थी के दादा अमरा पिता हरजी भील को सन् 1973 में आवंटित हुई। उक्त भूमि से सम्बन्धित एक वाद इस न्यायालय में जेरकार है एवं खातेदार होने के नाते प्रार्थी को वाद में प्राथमिक रूप से ~~प्राथमिक~~ सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी एवं अन्य सह खातेदार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं इसलिए सुविधा का सन्तुलन भी उनके पक्ष में है। विपक्षीगण उक्त भूमि पर जे.सी.बी. चला कर भूमि को समतल कर प्रार्थी एवं अन्य भागीदार को काश्त करने से रोक रहे हैं इसलिए विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे अन्यथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

वकील विपक्षीगण द्वारा बहस में बताया गया कि विपक्षी सं. 4 ने अपने कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की कृषि भूमि को समतल किया है। विपक्षी सं. 4 की खातेदारी आराजियात एवं वादी की आराजियात के मध्य खसरा नम्बर 3016/1275 एवं 3036/1275 की भूमि स्थित है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा नक्शा ट्रेस की छाया प्रति भी पेश की गई। वकील अप्रार्थीगण द्वारा आगे बताया गया कि प्रार्थना पत्र के कालम 8 से स्पष्ट है कि प्रार्थी को स्वयं की भूमि की पैमाइश की जानकारी नहीं है। वकील अप्रार्थी द्वारा यह भी बताया गया कि खसरा नं. 3016/1275 से विपक्षीगण का कोई लेना देना नहीं है।

मैंने पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब, दस्तावेज का अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थी एवं वकील विपक्षीगण की

Scanned by CamScanner

बहस पर मनन किया। पत्रावली मे संलग्न सम्वत् 2071-2074 की जमाबन्दी की छाया प्रति के अनुसार ग्राम सवाद पटवार हल्का सवाद के खाता नं. नया 132 पुराना 112 खसरा नं. $\frac{3016}{1275}$ रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा का प्रार्थी एवं अन्य भागीदार सह खातेदार हैं। नक्शा ट्रेस की छाया प्रति से स्पष्ट है कि खसरा नं. $\frac{3016}{1275}$ की पैमाइश नक्शे मे है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा भी बहस बताया गया कि उक्त खसरा नं. से विपक्षीगण का कोई लेना देना नही है। अत: खसरा नं. $\frac{3016}{1275}$ के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझता हूं।

अत: प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम सवाद पटवार हल्का सवाद की जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 के खाता सं. 132 नया 112 पुराना के खसरा नं. $\frac{3016}{1275}$ रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा पर विपक्षीगण [1से4] प्रार्थी को काश्त करने, फसल बोने, काटने से नही रोके किसी प्रकार का नुकसान नही पहुंचावे।

निर्णय आज दिनांक 10/2/18 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

SDO.

Scanned by CamScanner